Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 152-2025/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, AUGUST 28, 2025 (BHADRA 6, 1947 SAKA)

हरियाणा सरकार

शहरी स्थानीय निकाय विभाग
कमेटी शाखा–II

आदेश

दिनांक 28 अगस्त, 2025

संख्या 01/49/2024–1क–II.— सचिव, नगरपालिका, सढौरा के पत्र क्रमांक 9001/एम.सी.एस. दिनांक 01.8.2024 अनुसार श्री सिकन्दर सैनी, पार्षद, वार्ड नं0 9, नगरपालिका, सढौरा दिनांक 04.8.2023, 03.11.2023, 12.03.2024 व 13.06.2024 को नगर पालिका की साधारण/विशेष बैठकों और बजट बैठक दिनांक 05.03.2024 से बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहे। इस संदर्भ में नगरपालिका, सढौरा द्वारा जारी पत्र क्र0 8739/एम.सी.एस., दिनांक 19.06.2024 के उत्तर में श्री सिकन्दर सैनी, पार्षद ने ईमेल दिनांक 25.06.2024 द्वारा अवगत करवाया था कि वह दिनांक 01.11.2023 को यूनाईटड किंगडम घूमने के लिये गये थे, परन्तु 01 माह बीत जाने उपरान्त जब वापिस इंडिया आने लगे तो उनके कुछ मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों के कारण, वहां के डाक्टर द्वारा उनका ईलाज किया जा रहा है तथा उनको यात्रा करने से मना किया हुआ है।

2. इस सम्बन्ध में मामले की जांच हेतु हरियाणा नगर पालिका अधिनियम, 1973 की धारा 14 की परन्तुक के अन्तर्गत सरकार के आदेश दिनांक 09.10.2024, द्वारा उप–मण्डल अधिकारी (नागरिक), बिलासपुर को इस मामले की नियमित जांच करने हेतु जांच अधिकारी नियुक्त किया गया, जिन्होंने अपने पत्र क्रमांक 3746/एम0 सी0, दिनांक 13.01.2025 द्वारा जांच रिपोर्ट विभाग को प्रस्तुत की। जांच अधिकारी के समक्ष श्री सिकन्दर सैनी ने बयान दिए हैं कि जब भी बैठकों का आयोजन किया गया वह भारत में मौजूद नहीं थे, वह यू0के0 में थे, जिस कारण वह विशेष व साधारण बैठकों में उपस्थित नहीं हुये। वह भविष्य में भी यू0 के0 में ही रहेंगे और वह पार्षद के पद से बिना किसी दबाव के इस्तीफा देना चाहते हैं, परन्तु समय के अभाव के कारण सक्षम अधिकारी उपायुक्त, यमुनानगर के सम्मुख उपस्थित नहीं हो सकते क्योंकि दिनांक 02.12.2024 को प्रातः 6:00 बजे की फ्लाईट है। उन्होंने यह अनुरोध किया है कि उचित विभागीय कार्यवाही, जो भी बनती है वह कर दी जावे, उन्हें वह स्वीकार होगी।

3. मामले में अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व सरकार द्वारा श्री सिकन्दर सैनी, पार्षद को दिनांक 25.03.2025 को निजी सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया, परन्तु वह सुनवाई की तिथि पर उपस्थित नहीं हुए। इसलिये सरकार द्वारा दिनांक 31.03.2025 को श्री सिकन्दर सैनी, पार्षद, वार्ड नं0 9, नगरपालिका, सढौरा के विरूद्ध हरियाणा नगर पालिका अधिनियम, 1973 की धारा 14(1) (सी) के अन्तर्गत कार्यवाही करने के लिए निर्णय लिया गया है।

4. अतः हरियाणा नगर पालिका अधिनियम, 1973 की धारा 14(1)(सी) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री सिकन्दर सैनी, पार्षद, वार्ड न0 9, नगरपालिका, सढौरा को पार्षद के पद से तुरन्त प्रभाव से हटाया जाता है तथा उक्त अधिनियम की धारा 14 (2) के अन्तर्गत श्री सिकन्दर सैनी को 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया जाता है।

विकास गुप्ता,
आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
शहरी स्थानीय निकाय विभाग।

दिनांक 22 अगस्त, 2025.

श्री सिकन्दर सैनी सुपुत्र श्री जरनैल सिंह,
पार्षर्द, वार्ड नं0 9, नगरपालिका सढौरा,
मार्फत सचिव, नगरपालिका, सढौरा, यमुनानगर।

12078—C.S.—H.G.P., Pkl.